गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा संचालित गौतम विहार विस्तार आवासीय योजना के अन्तर्गत

वसुन्धरा इन्क्लेव फेज-द्वितीय में एम0आई0जी0 3 BHK (स्टिल्ट+3) भवन के आवंटन हेतु।

पंजीकरण प्रारम्भ तिथि– 26/05/2015 पंजीकरण समाप्ति तिथि– 25/06/2015

विशेष आकर्षण :

1. गोरखपुर देवरिया बाईपास रोड सन्निकट।
2. वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला के बगल में स्थित।
3. नैसर्गिक झील रामगढ़ ताल के निकट।
4. स्वच्छ, प्रदूषणमुक्त एवं शान्त वातावरण।
5. व्यापार कर कार्यालय के निकट।

उपलब्ध भवनों का विवरण व भुगतान की प्रक्रिया :

क्र. सं0	सम्पत्ति की श्रेणी	सम्पत्ति की संख्या	आच्छादित मानक क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	अनुमानित मूल्य (प्रभावी सर्विस टैक्स अतिरिक्त देय होगा)	पंजीकरण धनराशि		आवंटन धनराशि 25 प्रतिशत	अवशेष धनराशि		अवशेष धनराशि 10 वर्षों में 15% ब्याज सहित मासिक किश्तों में	
					सामान्य वर्ग 10 प्रतिशत	आरक्षित वर्ग 05 प्रतिशत		सामान्य वर्ग	आरक्षित वर्ग	सामान्य वर्ग	आरक्षित वर्ग
1-	एम0आई0जी0 3 बी0एच0के0 (स्टिल्ट+3)	240	104.39 (प्रति भवन)	32,95000/-	3,29,500/-	1,64,750/-	8,23,750/-	21,41,750/-	23,06,500/-	34547/-	37204/-

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा संचालित गौतम विहार विस्तार आवासीय योजना के अन्तर्गत **वसुन्धरा इन्क्लेव फेज-द्वितीय** में फ्लैट के आवंटन हेतु

क्र0सं0........804

आवेदन - पत्र

आवेदक का फोटो	आवेदक के पति/पत्नी का फोटो

आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)..

आवेदक के पति/पत्नी/ का नाम ....(यदि विवाहित हों)

आवेदक के पिता का नाम ....

पत्राचार का पता ....

फोन/मोबाइल नम्बर..............................ई-मेल..पैन नं...........................

स्थायी पता ....

आवेदक के बैंक का नाम व शाखा..

आवेदक का बैंक का खाता संख्या | | | | | | | | | | | | | | | |

व IFSC CODE | | | | | | | | | | | | आवेदक का व्यवसाय/पेशा...........................

वित्तीय वर्ष 2014–15 में आवेदक की कुल स्रोतों से आय (जिसमें आवेदक की पत्नी/पति/अल्प व्यस्क बच्चों की आय शामिल हो)...........................

आवंटन में आरक्षण मांगने का कारण (यदि कोई हो तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें)..

आवेदित भवन की श्रेणी..औसत क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)..

आवेदन पत्र के साथ जमा धनराशि रू0..(सी.टी.एस. बैंक ड्राफ्ट / सी.टी.एस. बैंकर्स चेक / नकद)

चालान संख्या..धनराशिं जमा करने की तिथि..

आवेदक द्वारा आनलाइन पेमेण्ट अथवा E-Trasfer/RTGS/NEFT के माध्यम से धनराशि जमा की गयी है तो निम्न सूचना उपलब्ध कराया जाये :-

जमाकर्ता बैंक का नाम..............................UTR No..............................दिनांक..............................Transaction ID No..............................

खाता संख्या | | | | | | | | | | | | | | |

स्थान..............................

दिनांक..............................

आवेदक का हस्ताक्षर

बैंक सम्बन्धी दी गयी सूचना अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण होने पर विलम्ब से भुगतान का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

प्राप्ति रसीद

क्रम संख्या.........804

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित गौतम विहा विस्तार आवासीय योजना के अन्तर्गत

वसुन्धरा इन्क्लेव फेज-द्वितीय में भवनों के आवंटन हेतू

आवेदक का नाम..पिता/पति का नाम..

भवन की श्रेणी..औसत क्षेत्रफल वर्ग मीटर ....

जमा धनरीशि..............................चालान नम्बर..दिनांक..............................

(शपथ पत्र का प्रारूप)

(पंजीकरण धनराशि जमा करने के पश्चात् ही इस प्रारूप पर रू0 10.00 के स्टैम्प पेपर पर नोटरी से फोटो सहित सत्यापित कराकर आवेदन पत्र के साथ दें)

समक्ष, उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

नाम श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम...तथा व्यवसाय का विवरण..
आयु....................पूर्ण पता...
मैं...शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता/करती हूँ।

1. मैनें गौतम विहार विस्तार आवासीय योजना के अन्तर्गत **वसुन्धरा इन्क्लेव फेज-द्वितीय** के अन्तर्गत प्रस्तावित फ्लैट के आवंटन हेतु आवंटन तथा तत्संबम्बन्धित भूमि.फ्रीहोल्ड के रूप में अग्रिम धनराशि रू0 ....जमा दिनांक.......................... के तारतम्य में यह शपथनामा प्रेषित कर रही / रहा हूँ।
2. यह कि मैं बालिग हूँ तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
3. मैं प्रार्थना -पत्र केवल अपने लिये ही दे रहा / रही हूँ और इसमें किसी प्रकार की बेनामी अधिकार नहीं है। मैं यह शपथ सहित कहता /कहती हूँ कि मेरे अथवा मेरे पति / पत्नी व नाबालिग बच्चों में से किसी के नाम पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत कोई भी फ्लैट नहीं है, और न ही मैनें / मेरी पत्नी, मेरे पति या नावालिग बच्चों में से किसी ने फ्लैट के लिए अतिरिक्त प्रार्थना-पत्र भी दिया है।
4. मुझे गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गौतम विहार विस्तार आवासीय योजना के अन्तर्गत **वसुन्धरा इन्क्लेव फेज-द्वितीय** आवासीय योजना में फ्लैट देने की सभी शर्त व नियम मान्य है।
5. मेरे व मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर में एक से अधिक आवासीय फ्लैट नहीं है। और न ही मैं अथवा मेरा परिवार अरबन लैण्ड सीलिंग एण्ड रेगुलेशन एक्ट 1976 में निर्धारित सीमा से अधिक सम्पत्ति रखेंगे।
6. मैं यह स्वीकार करता / करती हूँ कि फ्लैट का रख-रखाव तथा उसे सुन्दर व स्वच्छ हालत में रखने की जिम्मेदारी मेरी होगी, और भवन के सम्पत्ति करों तथा अन्य जो भी कर देय होंगे, उनके देने का उत्तरदायी रहूंगा। जब तक मैं फ्लैट के सम्पत्ति करों तथा अन्य जो भी कर देय होंगे, उनके देने का उत्तरदायी रहूँगा। जब तक मैं फ्लैट के सम्पत्ति किश्तों व करों धन का पूर्ण भुगतान न कर दूँ, मैं उपाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करता रहूँगा / करती रहूँगी।
7. यह कि मैं यह घोषित करता / करती हूँ कि जब तक फ्लैट की समस्त किश्तों एवं करों का पूर्ण भुगतान कर नियामानुसार विक्रय विलेख न करा लूँ तब तक मुझे फ्लैट बेचने व गिरवी रखने का अधिकार न होगा, और न आवासीय फ्लैट में कोई अन्य निर्माण कार्य अथवा परिवर्तन उपाध्यक्ष की आज्ञा के बिना मैं करूंगा / करूंगी, और न ही भवन के आवासीय उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाऊंगा / लाऊंगी।
8. यदि गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित उक्त फ्लैट का कब्जा निर्धरित समय के अन्तर्गत मांगा गया रुपया न जमा करूँ अथवा आवासीय फ्लैट की रजिस्ट्री न कराऊ तथा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करूं तो उपाध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह मेरा / हमारे द्वारा जमा समस्त धन को जब्त कर ले, तथा आवासीय भवन का आवंटन रद्द कर दे, एवं उस फ्लैट पर पुनः कब्जा कर लें।
9. ऊपर मैनें / हमने जो कुछ कहा वह सब मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है, और उपरोक्त शपथ पत्र में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त बयानी कुछ भी गलत अथवा असत्य हो अथवा मैने कोई महत्वपूर्ण प्रासंगिक बात छिपाई हो तो अन्य अधिकारों के अतिरिक्त उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण को पूरा-पूरा अधिकार होगा कि पंजीकरण / आवंटन / रजिस्ट्रेशन एग्रीमेन्ट रद्द कर दें, पुनः कब्जा वापस कर लें, और इस सम्बन्ध में मेरे / हमारे द्वारा जमा धन को जब्त कर ले, और मेरे / हमारे विरुद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझे करें, उसमें मुझे / हमें कोई आपत्ति न होगी।

स्थान ....
दिनांक.........................

शपथकर्ता के हस्ताक्षर